नई दिल्ली में 26.07.2016 को सुश्री उमाभारती, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति की दसवीं बैठक का कार्यवृत्त

सुश्री उमाभारती, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में नदियों के अंतर्योजन की परियोजना की विशेष समिति की दसवीं बैठक, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 11:30 बजे 26 जुलाई 2016 को आयोजित की गई। श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार; श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई, उत्तर प्रदेश; श्री आर. विद्यासागर राव, सलाहकार, सरकार तेलंगाना और विभिन्न केन्द्र सरकार और राज्य सरकार संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में रखी गई है।

प्रारंभ में, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने बैठक में विशेष समिति के सदस्यों और प्रतिभागियों का उत्साह पूर्वक स्वागत किया। नदियों के अंतर्योजन की परियोजना कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वेचाहती थीं कि सदस्यों को नवीनतम विकास और केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए आगे के चरणों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि वे मुख्य सलाहकार और जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, नदी विकास और गंगा संरक्षण के साथ देश में जल संसाधन विकास और प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं के तहत लिंक नहर भी, जहां कहीं भी संभव है, जल यात्रा हेतु योजनाबद्ध होंगी।

माननीय केंद्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में गिरने वाले हिस्से के नदियों को जोड़ने के कार्यान्वयन पर हो रहे विचार का उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि फरवरी 2016 में महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के बारे में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के साथ बैठक हुई थी और ओडिशा सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए उम्मीद है।

माननीय केंद्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने इसके बाद, माननीय राज्य सरकारों से जल संसाधन/सिंचाई मंत्रियों से उनके विचार व्यक्त करने के लिए अनुरोध किया।

बिहार :

बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने जल की उपलब्धता और उसके प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार नेपाल से आनेवाली नदियों के बाढ़ से पीड़ित है, जबकि दक्षिण बिहार में जल की कमी है। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ रा.ज.वि.अ. अंत:राज्यीय संबंधों पर डीपीआर तैयार कर रहा है, वहीं राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और आर. एंड आर. स्वीकृति सहित विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त की जा रही हैं। उन्होंने कहाकि 2014 में केंद्रीय जल आयोग को बुरही-गंडक-नून-बाया-गंगा और कोसी-मेची अंत:राज्यीय संबंधों के डीपीआर प्रस्तुत किए गए थे जो अभी भी मूल्यांकनाधीन हैं। उन्होंने कहा कि रा.ज.वि.अ. द्वारा इन परियोजनाओं के पर्यावरणीय और आर. एंड आर. स्वीकृति का भी निपटारा किया जाना चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि 2 लाख हेक्टेयर से अधिक के कमान क्षेत्र वाले परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया जाए और सिंचाई के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से नीचे के राज्यों को अंत:राज्यीय लिंक के डीपीआर तैयार करने के लिए निधि प्रदान की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश :

श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय कृषि राज्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना का डीपीआर 2008 में 9393 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ तैयार किया गया था। वह परियोजना की वर्तमान लागत, उत्तर प्रदेश में राज्य की भागीदारी की लागत को जानना चाहते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य ने पहले ही

1447 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया था और परियोजना के लिए आवश्यकतानुसार आगे अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार की जाए और इसका पालन किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल से बहते हुए बाढ़ के जल से उत्तर प्रदेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने केंद्रीय वित्तपोषण सेरु.132 करोड़ की मांग नेपाल से बाढ़ को कम करने के लिए की। बाढ़ योजनाओं के लिए उन्होंने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश में 3-4 परियोजनाएं हैं, जिसके लिए केंद्रीय वित्त पोषण आवश्यक है, जैसे कि रु.1346 करोड़ रुपये सरयू राष्ट्रीय परियोजना के लिए, बाणसागर परियोजना के लिए रु.75 करोड़, अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 243 करोड़ इस प्रकार, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,764 करोड़ रुपये जारी किए जाने की आवश्यकता है।

तेलंगाना :

तेलंगाना सरकार के सलाहकार, श्री आर. विद्यासागर राव ने कहा कि पिछली बैठक में, श्री बी.एन. नवलावाला मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में नदियों के बीच में जोड़ने के लिए कार्यबल से अधिशेष जल को परिभाषित करने और इसकी सिफारिशों को देने के लिए अनुरोध किया गया। कार्यबल की बैठकों के बाद उन्होंने विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि तेलंगाना के विचारों को रा.ज.वि.अ. की त.स.स. और नदियों के अंतर्योजन के लिए कार्यबल की बैठकों के कार्यवृत्तों में ठीक से नहीं देखा गया। उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी राय में, घाटियों को स्पष्ट रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए :(i) बेसिन, जहां न्यायाधिकरण निर्णय उपलब्ध हैं (ii) अन्य घाटियों, जिन घाटियों में, जहां न्यायाधिकरणों के निर्णय उपलब्ध है, इस प्रकार निर्णयों का उल्लंघन किए बिना जल संतुलन काम किया जाना चाहिए। अन्य घाटियों के मामले में, रा.ज.वि.अ./कार्यबल द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रा.ज.वि.अ. ने राज्यों के विचारों को संप्रेषण के लिए एक महीने के समय के साथ दिशा निर्देशों के साथ कार्यबल की बैठक का कार्यवृत्त भेजा है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनका राज्य पूरी तरह से दिशा निर्देशों के साथ सहमत नहीं था और उनके विचार समय पर रा.ज.वि.अ. को भेजे जाएंगे।

माननीय मंत्री (डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर.) ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा प्रस्तावित विचार मंथन सत्र जल्द ही आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बिहार के अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए केंद्रीय जल आयोग और रा.ज.वि.अ. के मध्य उचित संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि अधिशेष जल के मुद्दे के संबंध में तेलंगाना की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने नदियों के अंतर्योजन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के माननीय मंत्रियों के सहयोग की अपेक्षा की।

इसके बाद महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. को चर्चा के लिए कार्यसूची मद प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

मद सं.10.1 : नई दिल्ली में 29 अप्रैल, 2016 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति की नवमी बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति की नौवीं बैठक के कार्यवृत्त को 18 मई, 20016 के पत्र के माध्यम से का वितरित किया गया था। राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के अपर सचिव और मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 03.06.2016 के माध्यम से, टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं, दिनांक 13 जुलाई 2016 के पत्र के माध्यम से रा.ज.वि.अ. की प्रतिक्रिया राजस्थान सरकार को भेजी गई थी। रा.ज.वि.अ. के उत्तर के जवाब में, कार्यवृत्तों में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं थी और कार्यवृत्तों को परिचालन स्वरूप में पुष्टि की गई थी।

मद सं.10.2 : पिछली बैठक के दौरान किए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने विशेष समिति की नवमी बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई को निम्नानुसार बताया :

i) रा.ज.वि.अ. के तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) के सभी सदस्य राज्यों के विचार प्राप्त करने के बाद 23 मई 2016 को रा.ज.वि.अ. की त.स.स. ने जल संतुलन का आकलन करने हेतु दिशा निर्देश संशोधित किए। 15 जून, 2016 को हुई अपनी चौथी बैठक में दिशानिर्देश नदियों के अंतर्योजन के लिए कार्यबल के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। जिसका विवरण कार्य सूची मद सं.10.7 के रूप में चर्चा के लिए अलग से रखा गया है।

ii) महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि गुजरात सरकार ने 21.05.2016 के पत्र के माध्यम से पर-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के डीपीआर पर अपनी टिप्पणियां जमा कर दी थीं और इसके उत्तर भी रा.ज.वि.अ. द्वारा गुजरात सरकार को 25 मई, 2008 और दिनांक 15 जून, 2016 के पत्रों के माध्यम से भेजा था। जिसके विवरण को मद संख्या 10.5.2 में चर्चा किया गया है। महाराष्ट्र सरकार की पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के डीपीआर पर टिप्पणियां अभी भी प्रतीक्षा में थीं।

iii) जैसा कि अंतिम बैठक में निर्णय लिया गया था, एन.आई.एच., रुड़की द्वारा तैयार महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के जल संतुलन अध्ययन पर मसौदा प्रतिवेदन की एक प्रति को ओडिशा सरकार भेजी गई है।

iv) यह सूचित किया गया कि रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन की प्रतिवेदन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में चल रही है। अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी कार्य सूची मद सं.10.9 के अंतर्गत शामिल कर ली गई है।

मद सं.10.3 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I-विभिन्न वैधानिक स्वीकृति की स्थिति

मद सं.10.3.1 : पर्यावरण स्वीकृति

महा प्रबंधक, रा.ज.वि.अ. ने कार्य सूची में दिए पर्यावरण स्वीकृति के अनुसार वर्तमान स्थिति को सूचित किया। इसके दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) की नई दिल्ली में 2 जून 2016 को हुई 94 वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि परियोजना द्वारा प्रभावित पन्नाटाइगर रिजर्व के लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान (एल.एम.पी.) की तैयारी में तेजी लाई जाए। ई.ए.सी. ने अपने विचारार्थ, एन.बी.डब्ल्यू.एल. की स्थायी समिति द्वारा गठित समूह की प्रतिवेदन की एक प्रति कि मांग की है।

मद सं.10.3.2 : वन्यजीव स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कार्य सूची टिप्पण में दिए गए अनुसार वन्य जीव स्वीकृति कि स्थिति के बारे में समिति के सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय वन बोर्ड (एन.बी.डब्ल्यू.एल.) की 10 मई 2016 की 38 वीं बैठक में माननीय राज्य मंत्री (प्रभारी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के तहत वन्य जीव निकासी के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' के बारे में बताया गया। हालांकि, बाघ के निवास, गिद्धों और अन्य संबंधित मुद्दों की जांच के उद्देश्य से निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञों की एक टीम जिस में स्थल निरीक्षण दल (स्थायी समिति द्वारा गठित) के विशेषज्ञों, सदस्य सचिव, एन.टी.सी.ए. और दो सिंचाई/जलविज्ञान विशेषज्ञों शामिल हों जो सभी विवरण और किसी भी अन्य मुद्दे के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इस समूह की पहली बैठक 11 जुलाई 2016 को आयोजित की गई थी। समूह का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा था।

मद सं.10.3.3 : वनभूमि पथांतरण स्वीकृति

यह सूचित किया गया कि वनविभाग द्वारा भंगुर (मध्यप्रदेश) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भोपाल (म०प्र०) के नोडल अधिकारी के मार्ग दर्शन/दिशा में वन विभाग द्वारा निम्नीकृत वनभूमि और अन्य संबंधित कार्यों की पहचान की जा रही है। रा.ज.वि.अ. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ प्रकरण पर कार्य कर रहा था।

मद सं.10.3.4 : जनजातीय मामलों के मंत्रालय से स्वीकृति (जनजातीय मामलों का मंत्रालय)

यह सूचित किया गया था कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में अनुसूचित जनजाति परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनः स्थापना और पुनर्वास (आर. एंड आर.) योजना के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एम.ओ.टी.ए.), भारत सरकार से स्वीकृति का प्रस्ताव चरण-I में आदिवासी मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली, में 7 जून 2016 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव जनजातीय मामलों के मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है।

मद सं.10.3.5 : तकनीकी आर्थिक स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 8 जुलाई 2016 को आयोजित 129 वीं बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति को सूचित किया कि परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी जो अन्य वैधानिक स्वीकृति पर आधारित होनी थी। हालांकि, उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रतीक्षा है।

माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार ने उल्लेख किया कि इस परियोजना के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार किया गया डीपीआर और रा.ज.वि.अ. द्वारा पर्यावरण, वन्यजीव और वनभूमि पथांतरण की स्वीकृतियां भी संसाधित की जा रही थीं। हालांकि, कोसी-मेची और बुरही-गंडक-नून-बाया-गंगा लिंक परियोजनाओं के लिए अलग मापदंडों को अपनाया गया, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा ये स्वीकृति प्राप्त की जानी थी। यह स्पष्ट किया गया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना, पहली नदियों का अंतर्योजन परियोजना है जिसके स्वीकृति प्राप्त करने का अधिदेश विशेष रूप से रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया है।

बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के मामले में कार्य सूची का रिकॉर्ड है कि तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के अधीन रखा गया है, जब कि कोसी-मेची लिंक परियोजना के मामले में कार्य सूची में उल्लेख किया गया है कि परियोजना को सलाहकार समिति द्वारा 8 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था और बैठक की कार्यवृत्त की प्रतीक्षा की गई थी। उन्होंने उल्लेख किया कि इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न मापदंड अपनाया गये।

विशेष सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने कहा कि सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त अभी तक जारी नहीं हुआ है, अतः कोई समय-पूर्व निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इन परियोजनाओं में पर्यावरण आदि की स्वीकृति कि अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सलाहकार समिति द्वारा केन-बेतवा और कोसी-मेची दोनों परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए एक सामान व्यवहार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि परियोजना के वित्तपोषण के प्रस्तावित प्रणाली के बारे में जानना चाहते थे। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि परियोजना के वित्तपोषण का विवरण अभी तय किया जाना है।

मद सं.10.4 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II- डीपीआर की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि निचला ओर बांध को पर्यावरण स्वीकृति ई.ए.सी. द्वारा 2 मई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में दी गई थी। उन्होंने कार्य सूची में दिए गए अनुसार वन भूमि पथांतरण निकासी की वर्तमान स्थिति को भी समझाया।

उपरोक्त विवरण का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

मद सं.10.5 : दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं-डीपीआर की वर्तमान स्थिति

मद सं.10.5.1 : दमनगंगा-पिंजल लिंक

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) मार्च, 2014 के दौरान रा.ज.वि.अ. द्वारा पूर्ण कर ली गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की सरकारों के अधिकारियों और रा.ज.वि.अ. के बीच जल बांटने के संबंध में चर्चा चल रही थी। जैसा कि पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल जुड़वां लिंक हैं, इसका फैसला विशेष समिति की आखिरी बैठक में किया गया है कि दोनों परियोजनाओं में जल साझाकरण के मुद्दे पर दोनों राज्यों और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर पहले चर्चा होगी। उन्होंने आगे बताया कि माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के साथ मुंबई में 3 मई, 2016 को में बैठक की जिसमें अन्य मुद्दों के साथ दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने आगे कहा कि बृहत मुंबई महानगर निगम (एम.सी.जी.एम.) ने 30 जून 2016 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन को वनभूमि पथांतरण की स्वीकृति के लिए आवेदन दिया है और पुनर्वास के लिए भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय (एम.ओ.टी.ए.) से स्वीकृति मांगी है। अनुसूचित जनजाति परियोजना के लिए पुनर्वास (आर. एंड आर.) योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली को भी 30 जून, 2016 को परियोजना में प्रभावित परिवारों का प्रस्ताव है। प्रस्तावित प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और जन जातीय मामलों के मंत्रालय में क्रमशः प्रक्रियाधीन हैं।

गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि गुजरात राज्य के संबंध में परियोजना से संबंधित निकासी प्राप्त करने के लिए सभी प्रासंगिक विवरण/आवेदन संबंधित परामर्श से उनके परामर्श के साथ प्रस्तुत किए जाएं।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने आगे बताया कि 8 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण व जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति ने तकनीकी स्वीकृति के तहत परियोजना को कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त अभी भी प्रतीक्षा है।

मद सं.10.5.2 : पार-तापी-नर्मदा लिंक

यह उल्लेख किया गया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना का डीपीआर रा.ज.वि.अ. द्वारा पूरा कर लिया गया था और अगस्त, 2015 में गुजरात सरकार और महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि गुजरात सरकार ने 21/05/2016 के पत्र के द्वारा पैरा-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के डीपीआर पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की, जैसा कि कार्य सूची मद में बताया गया है और रा.ज.वि.अ. द्वारा दिनांक 25 मई, 2016 और दिनांक 15 जून, 2016 दिए गए पत्रों के अनुसार उत्तर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि गुजरात सरकार द्वारा अपेक्षित आंकड़ों/नक्शे प्रदान कर दिए गए हैं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के संशोधन का काम रा.ज.वि.अ. द्वारा पहले ही कर लिया गया है।

महाराष्ट्र के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणियां तैयार हैं और इसे शीघ्र ही रा.ज.वि.अ. को भेजा जाएगा।

दमनगंगा-पिंजल लिंक और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के संबंध में उपरोक्त विवरण समिति ने नोट कर लिया है।

मद सं.10.6 : महानदी-गोदावरी लिंक का प्रणाली अनुकरण अध्ययन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने एन.ए.आई.एच., रुड़की द्वारा महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के जल संतुलन अध्ययन पर मसौदा प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति के बारे में जैसा कि कार्य सूची टिप्पण में दिया गया है, सूचित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि ओडिशा सरकार की टिप्पणियों के साथ प्रतिवेदन प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उसके बाद, नदियों का अंतर्योजन की विशेष समिति को अंतिम प्रतिवेदन पेश की जाएगी।

तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने अपने मुख्यमंत्री के पूर्व कथन को दोहराया कि महानदी-गोदावरी लिंक महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक प्रणाली की नौ लिंक प्रणाली का एक हिस्सा है, इसे पूर्णता से निपटाना चाहिए।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि महानदी-गोदावरी लिंक इस प्रणाली का मातृ लिंक था और महानदी-गोदावरी लिंक और संबंधित राज्यों की मतैक्यता के जरिए जल की मात्रा निर्धारित करने के बाद ही इस प्रणाली के लिए आगे का अध्ययन किया जाएगा।

मद सं.10.7 : नदियों के अंतर्योजन में नदी बेसिन में अधिशेष जल

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने कहा कि नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति की आठवीं बैठक के दौरान, 28 अप्रैल, 2016 को हुई तीसरी बैठक में और 15 जून को हुई चौथी बैठक में नदियों के अंतर्योजन के लिए कार्यबल द्वारा अधिशेष जल के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि कार्यबल ने अपनी तीसरी बैठक में रा.ज.वि.अ. की त.स.स. के मौजूदा दिशा निर्देशों को सभी राज्यों के परामर्श से विचार किया और समीक्षा की और उसके बाद उनकी अगली बैठक में कार्यबल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार, रा.ज.वि.अ. के तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) के एक नदी बेसिन में जल संतुलन अध्ययन करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देश सभी संबंधित सदस्य राज्यों को अपनी टिप्पणियों/विचारों को व्यक्त करने के लिए भेजा गया था और इसके बाद, रा.ज.वि.अ. की त.स.स. ने सभी के टिप्पणियों/विचारों पर 23 मई, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 42 वीं बैठक में विचार किया। 'अधिशेष जल' और 'स्वीकार्य उद्वहन' के मुद्दे पर त.स.स. में दिशा निर्देशों में शामिल बेसिन जल हस्तांतरण लिंक पर भी चर्चा की गई। चर्चाओं के आधार पर , रा.ज.वि.अ. की त.स.स. द्वारा विकसित पूर्व दिशानिर्देश उचित रूप से संशोधित किए गए हैं। इन संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर, प्रारंभिक जल शेष अध्ययनों की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश भी संशोधित किए गए हैं।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने आगे कहा कि इन संशोधित दिशा निर्देशों को तब कार्य बल द्वारा उचित रूप से माना गया और समीक्षा की गई। 12 जुलाई 2016 के पत्र के माध्यम से रा.ज.वि.अ. की त.स.स. के सभी सदस्यों और संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया कि उनकी मतैक्यता या विचार उनकी सरकार को प्राप्ति के एक महीने के भीतर अवगत कराया जाएगा, असफल रहने पर इसे उनकी सरकार की मतैक्यता के रूप में लिया जाएगा। उसके बाद, इन दिशानिर्देशों को स्वीकृति के लिए नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति के समक्ष रखा जाएगा।

सलाहकार, तेलंगाना सरकार ने कहा कि कार्यबल ने नदियों के अंतर्योजन की परियोजना पर अपनी पिछली बैठक में विचार-विमर्श किया। हालांकि, 'अधिशेष जल', पर उसी प्रक्रिया को अपनाया गया था। उन्होंने कहा था कि '75% या 50% निर्भरता' का 'आवश्यकता' के साथ कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि न्यायाधिकरण अधिनिर्णय वाले घाटियों को अलग से पेश किया जाना चाहिए।

मुख्य सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) और नदियों का अंतर्योजन के कार्यबल अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि दिशा निर्देश केवल तैयार किए गए हैं और अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राज्य सरकारों के विचारों को प्राप्त करने के बाद भी इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

केरल के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें कार्यबल द्वारा अंतिम दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। महानिदेशक , रा.ज.वि.अ. ने केरल सरकार को दिशानिर्देशों की एक प्रति भेजने के लिए वादा किया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ड्राफ्ट दिशा निर्देशों को रा.ज.वि.अ. की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

मद सं.10.8 : अंतः राज्जीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

कार्य सूची टिप्पण में दी गई अंतः राज्जीय लिंक की वर्तमान स्थिति संक्षेप में समझायी गई।

माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार ने कहा कि रा.ज.वि.अ. द्वारा पूर्व-संभाव्यता चरण में अध्ययन किए गए चार अंतः राज्जीय संबंध प्रस्तावों को संभव पाया गया। हालां कि, इन प्रस्तावों को बाद में पूर्व डीपीआर चरण में संभव नहीं पाया गया, जो उचित नहीं था।

केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री ए.डी. मोहिले ने स्पष्ट किया कि कुछ मामलों में पूर्व-संभाव्यता अध्ययन के चरण में संभवतः एक प्रस्ताव को जांच/अध्ययन के बाद अनुपलब्ध पाया जा सकता है और इसलि ए.डी.पी.आर. चरण में भी आवश्यक नहीं हो सकता।

मुख्य सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने कहा कि बिहार के अंतः राज्जीय लिंक प्रस्तावों की संभाव्यता की फिर से समीक्षा की जा सकती है। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने इस पर सहमति व्यक्त की।

बिहार सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि क्रमांक 29, 30 और 34 अनुलग्नक 10.8.1 में दिए गए अंतः राज्जीय संबंधों की स्थिति में कोई प्रस्तावों की संभाव्यता या गैर -संभाव्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि यह शीघ्र ही किया जाएगा।

तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि यात्तिनिहोल परियोजना के डीपीआर की प्रतिलिपि जो कोलार और अन्य जिलों में नेत्रावती जल के हस्तांतरण की योजना बाबत है, अभी तक तमिलनाडु एवं कर्नाटक सरकार से नहीं प्राप्त किया जा सका था, जिसे उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा सभी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए समान मापदंड अपनाया जाना चाहिए।

विशेष सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में सभी परियोजनाओं के लिए एक ही दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

मदसं.10.9 : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का पुनर्गठन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि विशेष समिति की आठवीं बैठक के दौरान , माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) को 30 मई, 2016 को "रा.ज.वि.अ. के पुनर्निर्माण" पर एक प्रस्तुति प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तुत के बाद, माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने निर्देश दिया कि रा.ज.वि.अ. के त्वरित पुनर्रचना (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा शीघ्र किया जाए। रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन की प्रतिवेदन कि पुनर्रचना मंत्रालय में संसाधित किया जा रहा है।

उपरोक्त स्थिति का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

मद सं.9.9 : अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

उप-समिति-I और II के कार्य काल का विस्तार

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने कहा कि विशेष समिति की उप-समिति-I और II का कार्यकाल छह महीने के लिए शुरू किया गया था, जिसे छह महीने अर्थात 12 अगस्त 2016 तक दो बार बढ़ाया गया। उन्होंने आगे बताया कि उप-समिति-I कि 6 और उप-समिति-II की 8 बैठक अब तक आयोजित की गई हैं। इन उप-समितियों के संदर्भों की शर्तें नदियों का अंतर्योजन कार्यबल के समान लंबी अवधि के कार्य और अध्ययन/परीक्षा शामिल हैं। बड़ी मात्रा में काम अभी भी इन उप-समितियां द्वारा किया जाना है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि विशेष समिति के उप-समिति-I और II का कार्यकाल 12 अगस्त 2016 से आगे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। समिति ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और

उप-समितियों-I और II के कार्यकाल के 12 अगस्त, 2016 से अगले छह महीनों तक विस्तार के लिए सहमति व्यक्त की।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर कर बैठक का समापन हुआ।

****

अनुलग्नक-I

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 26.07.2016 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति की दसवीं बैठक में सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और प्रतिभागियों की सूची

1.	सुश्री उमा भारती, माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय मंत्री (जल संसाधन), बिहार सरकार,पटना	सदस्य
3.	श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री आर. विद्यासागर राव, सलाहकार, तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व
5.	श्री जी.एस.झा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव (जल संसाधन विभाग), बिहार सरकार,पटना	सदस्य
7.	श्री आई.एस. चहल, प्रधानसचिव (जल संसाधन विभाग), महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	सदस्य
8.	श्री अनुराग रस्तोगी, प्रधानसचिव, सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार, पंचकुला	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व
9.	श्री आर.पी. गोस्वामी, सचिव, सिंचाई और जल संसाधन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
10.	श्रीमती टिंकू बिस्वाल, सचिव(जल संसाधन विभाग), सरकार केरल, तिरुवनंतपुरम	सदस्य

11.	श्री शशिभूषण कुमार सचिव(जल संसाधन विभाग), आंध्रप्रदेश सरकार	सदस्य
12.	श्री ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
13.	श्री विराग गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
14.	श्री श्रीराम वेदिरे, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सलाहकार, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय), नई दिल्ली	सदस्य
15.	श्री नरेन्द्र बिरथरे, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व विधायक शिवपुरी, मध्यप्रदेश	सदस्य
16.	श्री आर.एस.प्रसाद, केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष	सदस्य
17.	श्रीमती सयाली जोशी, सामाजिक कार्य कर्ता	सदस्य
18.	श्री टी.डी. साहू, प्रधान अभियंता, जल संसाधन विभाग, सरकार ओडिशा, भुवनेश्वर	मुख्य सचिव के, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व
19.	श्री के.बी. रबादिया, मुख्य अभियंता (एस.जी.) और अपर सचिव (जलसंसाधन विकास), गुजरात सरकार, गांधीनगर	सचिव,जलसंसाधनविभाग,गुजरातसरकार,गांधीनगर का प्रतिनिधित्व
20.	श्री आर सुब्रमणियन, अध्यक्ष, सी.टी.सी. सह आई.एस.डब्ल्यू.डब्ल्यू., तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	मुख्यसचिव,लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई का प्रतिनिधित्व
21.	श्री एस.वी. भागवत, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर	प्रधान सचिव (जल संसाधन विभाग), छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर का प्रतिनिधित्व
22.	श्री एम.बंगार स्वामी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सरकार कर्नाटक, बेंगलुरु	प्रधान सचिव(जल संसाधन विभाग), कर्नाटक सरकार, रायपुर का प्रतिनिधित्व

23.	श्री अविनाश मिश्रा, संयुक्त सलाहकार, नीति आयोग, नई दिल्ली	सदस्य (कृषि), नीति आयोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
24.	श्री पवन कुमार, सलाहकार, मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, व्ययविभाग, वित्तमंत्रालय, नई दिल्ली	मुख्य सलाहकार (लागत), वित्तमंत्रालय का प्रतिनिधित्व
25.	श्री एम.एल.गुप्ता, मुख्य अभियंता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी., राजस्थान सरकार	प्रधान सचिव,जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व
26.	श्री दीपचंद्र पांडे, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई वर्क्स सर्किल, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड	सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
27.	श्री एस.मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
स्थायी आमंत्रण		
28.	श्री बी.एन.नवलावाला, मुख्य सलाहकार, माननीय केंद्रीयमंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के एवं अध्यक्ष, कार्यबल-नदियों का अंतर्योजन	
विशेष आमंत्रित		
29.	डॉ०अमरजीत सिंह, विशेष सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	
30.	श्री एम.गोपाल कृष्णन, अध्यक्ष, उप-समिति-III, विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन	
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी		
32.	श्री जगमोहन गुप्ता, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	
33.	श्री वीरेन्द्र शर्मा, वरि. संयुक्त आयुक्त (बीएम), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	
34.	श्री एस.के. शर्मा, वरि. संयुक्त आयुक्त (पीपी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	
35.	श्री समीर सिन्हा, प्रवक्ता, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	
36.	श्री मनमीत सिंह, प्रबंधक (पर्या०), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	

राज्य सरकार के अधिकारी		
37.	श्री नवनीत कुमार, मुख्य अभियंता (बेतवा), यू.पी. सिंचाई, झांसी	
38.	श्री बिरेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता, वाई.डब्ल्यू.एस. (एस), सिंचाई विभाग हरियाणा, नई दिल्ली	
39.	श्री वी.एम. कुलकर्णी, मुख्य अभियंता (जल संसाधन विभाग), महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	
40.	श्री इंद्रभूषण कुमार, मुख्य अभियंता, योजना और निगरानी, जलसंसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	
41.	श्री एस.सी. शर्मा, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई निर्माण, उत्तरप्रदेश सरकार, झांसी	
नदियों का अंतर्योजन के अधिकारी		
42.	श्री योगेश मित्तल, कार्यपालन अभियंता (जलसंसाधन विभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर	
43.	श्री उदयकुमार, आवासीय अभियंता बिहार सरकार, नई दिल्ली	
रा.ज.वि.अ. के अधिकारी		
44.	श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मु०), नई दिल्ली	
45.	श्री एम.के. श्रीनिवास, मुख्य अभियंता (दक्षिण), हैदराबाद	
46.	श्री एच.डी. दीक्षित, मुख्य इंजीनियर (उत्तर), लखनऊ	
47.	श्री एन.सी.जैन, निदेशक (तक.), नई दिल्ली	
48.	श्री के.पी. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली	

49.	श्री ओ.पी.एस. कुशवाह, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली	
50.	श्री जब्बार अली, उपनिदेशक, नई दिल्ली	
51.	श्री के.के. श्रीवास्तव, उपनिदेशक, नई दिल्ली	
52.	श्री आर.के. खरबंदा, उपनिदेशक, नई दिल्ली	
53.	श्री आर.के. शर्मा, उपनिदेशक, नई दिल्ली	
54.	श्री नागेश महाजन, उपनिदेशक, नई दिल्ली	
55.	श्री एम.एस. अग्रवाल वरिष्ठ सलाहकार, नई दिल्ली	
56.	श्री के.पी. सिंह, वरिष्ठ सलाहकार, नई दिल्ली	
57.	श्री एम.के. सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार, नई दिल्ली	
58.	श्री निजाम अली, सलाहकार, नई दिल्ली	